

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

17/10-10 - 71/2024
अन्वान :-



1. शैलेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी बीडभादरा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बीडभादरा तहरील भादरा।
2. रणधीर सिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी बीडभादरा त0 भादरा।
3. कमलेश पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी बीडभादरा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहरीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजेश वैनीवाल वादी
श्री अर्जून वैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 13/11/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 डीपीएन के खाता सं0 76/67 के मु0न0 41 के किला न0 13/1, 14 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24 , 25 की कुल 3.1620है0 वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रणधीर द्वारा मुख्य परीक्षा प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया व प्रस्तुत दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने रोही चक 3 डीपीएन के खाता सं0 76/67 के मु0न0 41 के किला न0 13/1, 14 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24 , 25 की कुल 3.1620है0 वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ प्रतिवादी सं0 2 व 3 भी जन्म से हक हिस्सा निहित है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण

Kalpit
उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

170-10 - 71 / 2024

अनवान : -

1. शैलेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी बीडभादरा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बीडभादरा तहसील भादरा।
2. रणधीर सिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी बीडभादरा त0 भादरा।
3. कमलेश पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी बीडभादरा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 3 डीपीएन के खाता सं0 76/67 के मु0न0 41 के किला न0 13/1, 14 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25 की कुल 3.1620है0 वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी शैलेन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पचा डिक्री आज दिनांक 15/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



Kalpit
(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़